इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 317] भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 जुलाई 2012—आषाढ़ 25, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2012

क्र. 15959-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2012 (क्रमांक 22 सन् 2012) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१२

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक ३) विधेयक, २०१२

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक ३) अधिनियम, २०१२ है.

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ के लिये राज्य की संचित निधि में से २१,११,५१,११,४०० रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग दो हजार एक सौ ग्यारह करोड़ इक्यावन लाख ग्यारह हजार चार सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधानसभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	**रुपये**	रुपये
.	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	**१,३३,८०,००,१००**	१,३३,८०,००,१००
..	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	**१००**	१००
०१.	सामान्य प्रशासन				
		राजस्व	६,२६,७९,०००	**३०,००,०००**	६,५६,७९,०००
		पूंजी	१,००,०००	**०**	१,००,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	९,००,४००	**०**	९,००,४००
०३.	पुलिस				
		राजस्व	२४,७६,५४,३००	**०**	२४,७६,५४,३००
		पूंजी	११,२५,००,०००	**०**	११,२५,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	३,२४,०००	०	३,२४,०००
०६.	वित्त				
		राजस्व	२००	०	२००
		पूंजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
०७.	वाणिज्यिक कर				
		राजस्व	५२,००,४००	०	५२,००,४००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
		राजस्व	१००	०	१००
१०.	वन				
		राजस्व	८,००,२००	०	८,००,२००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार				
		राजस्व	८५,१०,२००	**८८,९८,८००**	१,७४,०९,०००
		पूंजी	६६,०४,९८,२००	०	६६,०४,९८,२००
१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	९४,४०,००,०००	०	९४,४०,००,०००
		पूंजी	८,००,००,००,०००	०	८,००,००,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	६०,७३,४५,०००	०	६०,७३,४५,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.				
		राजस्व	६,००,०००	०	६,००,०००
१६.	मछली पालन				
		राजस्व	२००	०	२००
१७.	सहकारिता				
		राजस्व	७,१३,५७,०००	०	७,१३,५७,०००
		पूंजी	५१,१०,४७,०००	०	५१,१०,४७,०००
१८.	श्रम				
		राजस्व	१,०६,०५,२००	०	१,०६,०५,२००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
		पूंजी	१००	०	१००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		राजस्व	२,००,००,७००	०	२,००,००,७००
		पूंजी	१८,००,००,०००	०	१८,००,००,०००
२१.	आवास एवं पर्यावरण				
		राजस्व	५,७०,१००	०	५,७०,१००
		पूंजी	१०,००,०००	०	१०,००,०००
२२.	नगरीय प्रशासन एवं विकास-- नगरीय निकाय.				
		राजस्व	७,८६,०००	०	७,८६,०००
२३.	जल संसाधन				
		पूंजी	१,००,१००	०	१,००,१००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
		राजस्व	५२,७९,१६,२००	०	५२,७९,१६,२००
		पूंजी	५९,६०,०२,१००	३८,४५,००,०००	९८,०५,०२,१००
२५.	खनिज साधन				
		राजस्व	१००	०	१००
२६.	संस्कृति				
		राजस्व	३,५६,००,०००	०	३,५६,००,०००
		पूंजी	४०,००,०००	०	४०,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य				
		राजस्व	८,९७,३००	०	८,९७,३००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
		राजस्व	७५,०९,०००	०	७५,०९,०००
३३.	आदिम जाति कल्याण				
		राजस्व	३५,००,०००	०	३५,००,०००
३७.	पर्यटन				
		राजस्व	१००	०	१००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण				
		राजस्व	३,५९,२०,००,१००	०	३,५९,२०,००,१००
४०.	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट				
		पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
		राजस्व	११,१०,५९,०००	०	११,१०,५९,०००
		पूंजी	२१,७९,००,४००	०	२१,७९,००,४००
४४.	उच्च शिक्षा				
		राजस्व	१,००,००,०००	**२०,००,०००**	१,२०,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य				
		पूंजी	१,२५,००,१६,७००	**५,००,००,०००**	१,३०,००,१६,७००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	९,९१,००,०००	०	९,९१,००,०००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व				
		राजस्व	३८,०१,७५,२००	०	३८,०१,७५,२००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	२,००,०००	०	२,००,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास				
		राजस्व	१२,५५,७००	**१००**	१२,५५,८००
५६.	ग्रामोद्योग				
		राजस्व	४५,५८,०००	०	४५,५८,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण				
		राजस्व	३,००,०००	०	३,००,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना				
		राजस्व	१८,३४,३१,०००	०	१८,३४,३१,०००
		पूंजी	३००	०	३००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण				
		राजस्व	४,०७,०२,१००	०	४,०७,०२,१००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास.				
		राजस्व	१,०१,००,०००	०	१,०१,००,०००
		पूंजी	५०,००,०००	०	५०,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा				
		राजस्व	८,९२,०५,०००	०	८,९२,०५,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	३०,४५,८३,०००	०	३०,४५,८३,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	१८,४१,२२,५००	०	१८,४१,२२,५००
७६.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व	५०,००,१००	०	५०,००,१००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	६,८०,००,०००	०	६,८०,००,०००
	योग :	राजस्व	७,६४,०५,४७,४००	**१,३५,१८,९९,०००**	८,९९,२४,४६,४००
		पूंजी	११,६८,८१,६४,९००	**४३,४५,००,१००**	१२,१२,२६,६५,०००
		वृहद योग :	१९,३२,८७,१२,३००	**१,७८,६३,९९,१००**	२१,११,५१,११,४००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जाता है, जो वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक १४ जुलाई, २०१२

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.